A8
T

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 17/16

1. सत्यनारायण पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति नायक निवासी गोदुवाली
2. महावीर पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी गोदुवाली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

निगरानीकर्तागण

वनाम

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर।

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 12.8.13 पंचायत समिति, सादुलशहर।

उपस्थित :
1. श्री गुरचरणसिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्तागण
2. राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 11.02.17

आदेश

प्रस्तुत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 12.8.13 एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया है क्योंकि न तो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवंटन के संबंध में कोई शिकायत की गई है और न ही अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा गया है। विकास अधिकारी प्रस्ताव रखने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है क्योंकि प्रशासन एवं स्थाई समिति के सदस्य ही इस समिति की मिटिंग में प्रस्ताव रखने हेतु सक्षम व्यक्ति हैं और न ही ग्राम पंचायत को प्रस्ताव पारित करने के समय सुना गया। सरपंच ग्राम पंचायत 15 एसपीएम चौधरी चेतरामवाला को अपने क्षेत्राधिकार के गॉव 20 एसपीएम में पट्टे जारी करने से रोक दिया गया है जवकि पंचायत समिति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित शिकायत पर कार्यवाही कराते हुए निगरानीकृत प्रस्ताव पारित करवा लिया है तथा मौका की यथारिथति का आदेश प्राप्त कर लिया गया है जिससे निगरानीकर्तागण प्रभावित हैं क्योंकि निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत 15 एस पी एम में गॉव 20 एस पी एम में भूखण्ड सं0 166 व निगरानीकर्ता सं0 2 के नाम से भूाण्ड सं0 152 दिनांक 21.2.13 को आवंटित हुए थे, जिसपर स्थगन आदेश होने से वे निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत करने वाले व्यक्तियों का केवल मात्र उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत 15 एस पी एम के गॉव 20 एस पी एम की आबादी भूमि जो कि ग्राम पंचायत गणेशगढ के ग्राम गणेशगढ की आबादी से सटी हुई है, उसपर कब्जा करना था। शिकायत में वर्णित व्यक्ति गणेशगढ का निवासी है।ग्राम पंचायत 15 एसपीएम में गॉव 20 एसपीएम शामिल है, जिसमें आबादी क्षेत्र में पट्टे काटने का पूर्ण अधिकार ग्राम

[signature]
अ.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

पंचायत 15 एसपीएम को है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव को खारिज फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से मंगवाया गया। निगरानीकृर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी के माध्यम से पंचायत समिति, सादुलशहर की प्रशासन एवं स्थाई समिति की बैठक दिनांक 12.8.13 के प्रस्ताव सं0 3 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

<u>प्रस्ताव सं0 तीन निम्नानुसार है :-</u>

विकास अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के चक 20 एसपीएम आबादी भूमि पर अनियमित पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत आबादी भूमि खुर्द बुर्द करने की शिकायत संभागीय आयुक्त महोदय से प्राप्त हुई व इसकी जॉच बाबत बैठक में चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि श्री बलतेजसिंह ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत चक महाराजका, श्री गुरनायबसिंह, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान एवं श्री सुखपाल यादव, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत भागसर की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जावे। उक्त कमेटी शिकायत की मौका एवं रेकार्ड अनुसार जॉच कर रिपोर्ट पेश करें तथा यदि पट्टे जारी किये जा रहे हैं तो पट्टों से संबंधित रिकार्ड यथा मिसलें, पट्टा बुक, रसीद बुक, रोकड़ रजिस्टर अनुसार मिलाने करें तथा उक्त रेकार्ड प0 स0 कार्यालय में रिपोर्ट सहित पेश करें। तब तक आगामी आदेशों तक यथास्थिति रखी जावे। प्रस्ताव पारित कर वि0अ0 को आदेश जारी करने हेतु पाबन्द किया जावे।

निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने लिखित बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को आधारित करते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत 15 एसपीएम में गॉव 20 एसपीएम शामिल है, जिसमें आबादी क्षेत्र में पट्टे काटने का पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत 15एसपीएम को अधिकार है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 5–11–14 के अनुसार ग्राम पंचायत 15 एसपीएम मेंग्राम 20 एसपीएम शामिल था जिसे इस अधिसूचना के द्वारा गणेशगढ ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। विकास अधिकारी द्वारा यथास्थिति का आदेश दिनांक 27–8–13 को पारित किया गया है, उस समय ग्राम 20 एसपीएम ग्राम पंचायत 15 एसपीएम में शामिल था और इस आबादी क्षेत्र के बारे में ग्राम पंचायत 15 एसपीएम हर प्रकार का आदेश पारित करने के लिए स्वतन्त्र थी। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानीकृत प्रस्ताव एवं उसके आधार पर पारित स्थगन आदेश दिनांक 27–8–13 निरस्त करने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थाई समिति का निगरानीकृत आदेश विधिसम्मत् है। अतः निगरानीकृर्तागण की निगरानी खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजस्थान राजपत्र दिनांक 5–11–14 के अनुसार पंचायत समिति, सादुलशहर की ग्राम पंचायत 15 एसपीएम में ग्राम 20 एसपीएम शामिल था, जिसे इस राजपत्र के द्वारा दिनांक 5–11–14 को ग्राम पंचायत गणेशगढ में ग्राम 20

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A8
3

एसपीएम को शामिल किया गया है जबकि निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 12–8–13 को पारित कर यथास्थिति का स्थगन पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत 15 एसपीएम में निगरानीकृत प्रस्ताव पारित करने के समय ग्राम 20 एसपीएम ग्राम पंचायत 15 एसपीएम में शामिल था तथा ग्राम पंचायत 15 एसपीएम को आबादी भूमि के आवंटन संबंधी अधिकार प्राप्त थे। यही नहीं, निगरानीकृत प्रस्ताव के द्वारा जो तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, उसकी जॉच के क्या परिणाम रहे। ऐसी जॉच रिपोर्ट प्रशासन स्थाई समिति के समक्ष पेश हुई अथवा नहीं, लेकिन यथास्थिति का स्थगन निगरानीकृत प्रस्ताव से आदिनांक तक प्रभावी है, जो किसी भी तरह से विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति निगरानीकृत प्रस्ताव को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप, निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 12–8–13 निरस्त किया जाकर यथास्थिति का स्थगन खारिज किया जाता है।

विकास अधिकारी, सादुलशहर को आदेश की प्रति, रेकार्ड एवं राजपत्र की प्रति प्रेषित प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजपत्र दिनांक 5–11–14 के अनुसार ग्राम पंचायत गणेशगढ के ग्राम 20 एसपीएम की आबादी भूमि की जॉच बाबत गठित कमेटी के अनुसार यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके संबंध में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 11–2–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.2.17

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner